



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38–2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 9, 2021 (PHALGUNA 18, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

### Notification

The 9th March, 2021

**No. 10-HLA of 2021/16/4965.**— The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

**Bill No. 10–HLA of 2021**

### THE HARYANA RECOVERY OF DAMAGES TO PROPERTY DURING DISTURBANCE TO PUBLIC ORDER BILL, 2021

A

BILL

*to provide for recovery of damages to properties caused by persons during disturbances to public order by an assembly, lawful or unlawful, including riots and violent disorder and for constitution of Claims Tribunal to determine the liability, to assess the damages caused and to award compensation in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Act, 2021.
  - (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
  - (3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
    - (a) “Claims Commissioner” means an officer designated as such by the State Government, who shall not be below the rank of Sub-Divisional Magistrate;
    - (b) “Claims Tribunal” means the Claims Tribunal constituted under section 6 of this Act;

Short title,  
extent and  
commencement.

Definitions.

- (c) “damages” means loss, injury or deterioration caused by any act or omission by any person to property of Central Government or State Government or another person during disturbance to public order;
- (d) “disturbance to public order” means disturbance caused by an assembly, lawful or unlawful and includes a riot, revolt or violent disorder;
- (e) “independent valuation agency” means an agency as notified by the State Government under section 4 for the purposes of this Act;
- (f) “legal representative” means a person who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued;
- (g) “member” means the member of the Claims Tribunal including its Presiding Officer;
- (h) “person” shall have the same meaning as defined under section 11 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860);
- (i) “property” includes immovable and moveable properties of all kinds including vehicles, livestock, jewellery, goods and such like properties, whose minimum value is one thousand rupees;
- (j) “State” means the State of Haryana;
- (k) “State Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department.

Inviting of applications for claim of compensation.

**3.** (1) On receipt of information of damage to any property consequent to any disturbance to public order, the police officer in charge of a police station shall immediately report the occurrence of the incident along with the copy of first information report to the District Magistrate.

(2) On receipt of report along with copy of the first information report under sub-section (1), the District Magistrate shall issue a publication inviting application for claims for compensation for damages caused by persons involved in the disturbance to public order in such manner and within such time period, as may be prescribed.

Independent valuation agency.

**4.** The District Magistrate shall prepare a report on the basis of first information report and the applications received for compensation for damages and submit the same to the State Government within such period, as may be prescribed.

Procedure for filing application for claim.

**5.** (1) The application for claim for compensation for damages shall be filed along with the report of an independent valuation agency before the District Magistrate in such form, manner and along with such fees, as may be prescribed within a period of twenty-one days from the date of publication inviting applications under sub-section (2) of section 3.

(2) The claims for compensation may be filed by the owner or his legal representative to whom the damages have been caused.

(3) In case of property owned by the Central Government or the State Government or any organization owned and controlled by the Central Government or the State Government, the claim for compensation shall be filed by the head of office or any officer authorized in this regard by the head of office.

(4) In case of property owned by a company, trust, university, society or a statutory board, the claim for compensation shall be filed by the officer authorized in this regard by such company, trust, university, society or statutory board.

(5) The Commissioner of Police or Superintendent of Police of the district may file an application claiming compensation on account for the cost of requisition of police or paramilitary forces from outside the State for managing the disturbances to public order where such disturbance to public order has led to damages.

(6) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, notify list of independent valuation agencies, having experience in banking or insurance sector, who may submit valuation reports along with the application of claim for compensation.

**6.** (1) The State Government shall, on the report submitted by the District Magistrate, may constitute one or more Claims Tribunal, by notification in the Official Gazette, for such incident and for such jurisdiction, as may be specified in the notification, for the purpose of adjudicating upon application for claims for compensation for damages and to perform the functions assigned to it under this Act.

Constitution of Claims Tribunal.

(2) The Claims Tribunal shall be presided over by a person from amongst the Haryana Superior Judicial Services to be designated as such in consultation with the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana and where it consists of two or more members, the other members of the Claims Tribunal, shall be from amongst the officers of the State Government not below the rank of Additional Deputy Commissioner.

(3) Where two or more Claims Tribunals are constituted for any area, the State Government may, by general or special order, regulate the distribution of business amongst them.

(4) The Claims Tribunal may seek assistance of persons having experience in the field of banking, valuation, insurance or accounts.

**7.** The State Government shall provide such number of officers/officials to the Claims Tribunal, as it may deem fit for exercising the powers and performing the function under this Act, on such terms and conditions of service, as may be prescribed.

Officers/officials of Claims Tribunal.

**8.** (1) The Claims Tribunal shall determine the liability, assess the claims for compensation forwarded to it and determine the monetary value of the damages and on such determination, award suitable compensation related thereto and its apportionment thereof.

Functions and powers of Claims Tribunal.

(2) The compensation so determined shall be payable, in such proportion as may be determined by the Claims Tribunal, by the persons leading, organizing, planning, exhorting, instigating, participating or committing the disturbance to public order that led to the damages.

**9.** The District Magistrate, after constitution of the Claims Tribunal shall submit the applications for claims for compensation for damages received under sub-section (2) of section 3 to the Claims Tribunal for adjudication.

Claims for compensation to be forwarded to Claims Tribunal by District Magistrate.

**10.** (1) The Claims Tribunal shall issue summons to the persons leading, organizing, planning, exhorting, instigating, participating or committing such incident that led to damages as per the report submitted by the District Magistrate and also to the person submitting the application for claims for compensation, mentioning the date and time fixed on which it shall hear the applications for claim.

Summons to parties.

(2) In case any person to whom summons have been issued fails to appear before the Claims Tribunal on the date and time fixed for hearing the application, the Claims Tribunal may effect the service by publication, in such manner, as may be prescribed.

(3) The Claims Tribunal shall proceed ex-parte against any person, who fails to appear before it inspite of service of summons under sub-section (2):

Provided that a person who has been proceeded ex-parte may file an application for recalling the order and if he satisfies the Claims Tribunal that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the order was passed or that summons were not duly served, the Claims Tribunal may set aside the order whereby such person was proceeded ex-parte.

(4) The Claims Tribunal may seek a report from the District Magistrate of the property owned by the person who have been proceeded ex-parte and the District Magistrate shall furnish a report of the property owned by and details of bank accounts of such person within a period of fifteen days to the Claims Tribunal.

(5) The District Magistrate may seek information with regard to such property and bank accounts from the Commissioner of Police or the Superintendent of Police, as the case may be, or from an officer or any bank or any other Government agency and such officer shall be duty bound to provide such information, as may be available or obtained by him to the District Magistrate.

(6) The Claims Tribunal on receipt of the report under sub-section (4) may proceed to issue an order of attachment of property and the bank accounts of the person concerned to compel his presence and the officer to whom such order of attachment of property or bank account is issued shall be duty bound to comply with such order immediately on its receipt:

Provided that before proceeding for attachment of property under this sub-section, the Claims Tribunal shall follow the procedure as provided under Order XXXVIII, rule 5 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

Appearance of parties and filing of written statement.

**11.** The person against whom the summon under section 10 has been issued by the Claims Tribunal, at or before the first hearing or within such further time as the Claims Tribunal may allow, which shall not be later than twenty-one days from the date of service of summons or publication under sub-section (2) of section 10, to file a written statement and such written statement shall form part of the record.

Procedure of Claims Tribunal.

**12.** (1) The Claims Tribunal shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this Act and rules made thereunder. The Claims Tribunal shall have power to regulate its own procedure including the fixing of places and times of its sitting.

(2) The Claims Tribunal on a perusal of documents and written statements and after receiving such evidence or hearing such oral arguments, as may be advanced shall decide every application made to it as expeditiously as possible and ordinarily every application shall be decided within a period of three months from the date of summons under sub-section (1) of section 10.

(3) The proceedings of Claims Tribunal under this Act shall, so far as it is practicable and in the interest of justice, be continued on day-to-day basis till its conclusion unless the Claims Tribunal finds the adjournment of the proceedings beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing.

(4) The Claims Tribunal shall have for the purpose of discharging its functions under this Act the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of documents;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act No. 1 of 1872), requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office;
- (e) issuing commissions for the examination of witness or documents.

Claims Commissioner and independent valuation agency.

**13.** (1) The Claims Tribunal may, if it so requires, appoint one or more Claims Commissioners not below the rank of Sub-Divisional Magistrate to assist the Claims Tribunal in estimating the monetary value of the damages caused by disturbance to public order.

(2) The Claims Tribunal may also engage independent valuation agency to assist the Claims Commissioner to assess the monetary value of damage to property.

(3) The Claims Tribunal shall have the power to issue such directions to the Claims Commissioner and independent valuation agency, as it deem fit and invest them with powers to summon evidence including video, audio or other recordings from private or public sources to assess damage.

(4) The remuneration to be paid to the independent valuation agency shall be such, as may be determined by the State Government.

(5) The Claims Commissioner shall submit a report along with the report of the independent valuation agency, if any, to the Claims Tribunal within such period, as may be granted by the Claims Tribunal.

**14.** (1) The Claims Tribunal shall, after hearing the parties and on the basis of material available on record and the reports of the Claims Commissioner and independent valuation agency determine the liability of the person and the monetary value of the compensation to be awarded to each applicant.

Award of compensation and its apportionment.

(2) The Claims Tribunal while determining each claim for compensation, shall also decide the apportionment of the compensation recoverable from amongst the persons leading, organizing, planning, exhorting, instigating, participating or committing the incident that led to the damages.

(3) The Claims Tribunal shall, along with the award under sub-section (1), issue a certificate for recovery of damages for the amount so awarded. The Collector shall proceed to recover the amount on application for execution of the award, in the same manner as an arrears of land revenue:

Provided that the Claims Tribunal shall not award compensation higher than the compensation claimed by the applicant or ten crores rupees, whichever is less:

Provided further that no person shall be liable to pay more than one crore rupees:

(4) The Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, also award exemplary damages, not exceeding the total amount of the compensation awarded for the incident of disturbance to public order leading to the damages and such damages shall be payable, jointly or severally, by the persons leading, organizing, planning, exhorting, instigating, participating or committing the incident that led to the damages:

Provided that such exemplary damages shall be paid into the Consolidated Fund of the State.

(5) The Collector shall have the power to issue an order of attachment of property or bank account of any person against whom award has been passed by the Claims Tribunal to pay compensation and such property or bank account shall remain attached till the person makes the payment of the amount due.

(6) The compensation receivable on account of damages to any property-

(i) owned by the Central Government or the State Government or on account of the cost of requisition of police or paramilitary forces from outside the State shall be deposited by the District Magistrate in the Consolidated Fund of the Union or the State, as the case may be;

(ii) owned by any organization owned and controlled by the Central Government or the State Government, shall be paid by the District Magistrate to such organization;

(iii) owned by a company, trust, university or society or a statutory board other than an organization under (ii) above, shall be paid by the District Magistrate to such company, trust, university or society or a statutory board, as the case may be;

(iv) owned by a person other than (iii) above, shall be paid by the District Magistrate to such person:

Provided that if any amount as compensation has been paid to the owner of any property damaged in incident (s), by the State Government or Central Government or any insurance company or any other agency in this behalf, the District Magistrate shall adjust such amount from the amount of compensation to be paid; and the amount so adjusted shall be paid to the State Government or Central Government or such insurance company or such other agency.

(7) The Claims Tribunal may while disposing of the applications for claims for compensation, may pass such orders regarding costs and expenses incurred in the proceedings, as it deems fit.

**15.** The Claims Tribunal may direct that in addition to the amount of compensation, simple interest not exceeding six percent per annum, shall also be paid.

Award of interest.

**16.** Any person aggrieved by the award passed by the Claims Tribunal may file an appeal before the High Court of Punjab and Haryana:

Appeal.

Provided that no appeal shall be entertained unless twenty percent of the amount of compensation so awarded by the Claims Tribunal is deposited with the Collector.

- Bar of jurisdiction. **17.** No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any question relating to the claim for compensation and no injunction shall be granted by any Civil Court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.
- No bar on criminal proceedings. **18.** The proceedings for compensation for damages to property under this Act shall be in addition to and not in derogation of any criminal liability undertaken or likely to be undertaken through criminal proceedings, if any, before any competent court of law.
- General offence. **19.** Whoever, being bound by this Act fails to render or furnish assistance to the Claims Tribunal or the District Magistrate in execution of his duty under this Act, shall be punishable for offence under section 187 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).
- Proceedings before Claims Tribunal to be judicial proceedings. **20.** All proceedings before a Claims Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of clause (i) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).
- Members and staff of Claims Tribunal to be public servants. **21.** The Presiding Officer and other members, the Claims Commissioners, and the officers and other employees provided to the Claims Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
- Protection of action taken in good faith. **22.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person authorized for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act and rules made thereunder.
- Power to remove difficulties. **23.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may, by notification, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.  
(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.  
(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as possible, before the State Legislature.
- Power to make rules. **24.** The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

WHEREAS the general public has taken a serious note of various past and recent instances of mob violence where there was a large scale destruction, burning, looting of public and private properties, injury or loss of lives during disturbances to public order by an assembly, lawful or unlawful, including riots and violent disorder etc. and thereof. The State as well as the private individuals, trusts etc. had to suffer huge losses in terms of property and costs. The State Government is supposed to take all preventive, remedial measures so that such incidents are not repeated and public order is maintained. In order to prevent recurrence of such circumstances, there should be a legal framework to cause deterrence in the minds of the perpetrators of violence as also the organizers, instigators etc.

WHEREAS the actual perpetrators of such acts of violence and crimes as also the instigators, organizers or inciters be made liable for damages to public property; damages to private property and the cost of the forces requisitioned from outside the State for controlling such acts of violence and crimes;

A legislation i.e. "*The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021*" to provide for recovery of damages to properties caused by persons during disturbances to public order by an assembly, lawful or unlawful, including riots and violent disorder and for constitution of Claims Tribunal(s) to determine the liability, to assess the damages caused and to award compensation in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto, is required. Hence, the Bill.

ANIL VIJ,  
Home Minister, Haryana.

---

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :  
The 9th March, 2021.

R. K. NANDAL,  
Secretary.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enactment of The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021 would qualify the State Government for constitution of Claims Tribunal to determine the liability, to assess the damages caused and to recovery of damages and to award compensation in the State of Haryana.

2. The Claims Tribunal may, for reasons to be recorded, also award exemplary damages, not exceeding the total amount of the compensation awarded for the incident of disturbance to public order leading to the damages and such damages shall be payable, jointly or severally, by the persons leading, organizing, planning, exhorting, instigating, participating or committing the incident that led to the damages.

Provided that such exemplary damages shall be paid into the Consolidated Fund of the State.

3. The compensation receivable on account of damages to any property-

- (i) owned by the Central Government or the State Government or on account of the cost of requisition of police or paramilitary forces from outside the State shall be deposited by the District Magistrate in the Consolidated Fund of the Union or the State, as the case may be;
- (ii) owned by any organization owned and controlled by the Central Government or the State Government, shall be paid by the District Magistrate to such organization;
- (iii) owned by a company, trust, university or society or a statutory board other than an organization under (ii) above, shall be paid by the District Magistrate to such company, trust, university or society or a statutory board, as the case may be;
- (iv) owned by a person other than (iii) above, shall be paid by the District Magistrate to such person:

Provided that if any amount as compensation has been paid to the owner of any property damaged in incident(s), by the State Government or Central Government or any insurance company or any other agency in this behalf, the District Magistrate shall adjust such amount from the amount of compensation to be paid; and the amount so adjusted shall be paid to the State Government or Central Government or such insurance company or such other agency.

Accordingly, the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021 is required.



---

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 24 of the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021 provides the Government may, by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act and every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislation. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 10 एच.एल.ए.

## हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध "विधेयक करने हेतु"

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
  - (क) "दावा आयुक्त" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे रूप में पदाभिहित कोई अधिकारी, जो उप-मण्डल मजिस्ट्रेट की पदवी से नीचे का नहीं होगा;
  - (ख) "दावा अधिकरण" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित दावा अधिकरण;
  - (ग) "क्षति" से अभिप्राय है, लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रदर्शन एवं चूक करते हुए किसी अन्य व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सम्पत्ति को पहुंचाया गया नुकसान, हानि या क्षय;
  - (घ) "लोक व्यवस्था में विघ्न" से अभिप्राय है, किसी जनसमूह द्वारा दंगे, विद्रोह या हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध किया गया विघ्न;
  - (ङ) "स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अभिकरण;
  - (च) "विधिक प्रतिनिधि" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो विधिक रूप से मृतक व्यक्ति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें शामिल है कोई व्यक्ति, जो मृतक की सम्पदा के मामले में हस्तक्षेप करता है और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद चला सकता है या के विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा इस प्रकार वाद चलाया गया है या जिसके विरुद्ध वाद चलाया गया है, को पक्षकार की मृत्यु पर सम्पदा सौंपी गई है;
  - (छ) "सदस्य से अभिप्राय है, दावा अधिकरण का सदस्य तथा इसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल है;
  - (ज) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 11 में परिभाषित है;
  - (झ) "सम्पत्ति" में वाहन, पशुधन, आभूषण, वस्तुएं तथा ऐसी अन्य सम्पत्तियों, जिनका न्यूनतम मूल्य एक हजार रुपये है, सहित सभी प्रकार की अचल या चल सम्पत्तियां शामिल हैं;
  - (ञ) राज्य से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;
  - (ट) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

3. (1) लोक व्यवस्था में किसी विघ्न के परिणामस्वरूप किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट का प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित घटना के घटित होने की तुरन्त रिपोर्ट देगा। मुआवजा के दावे के लिए आवेदन आमंत्रित करना।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी रीति में तथा ऐसी समय अवधि, जो विहित की जाए, में लोक व्यवस्था में विघ्न डालने में शामिल व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई की गई क्षति हेतु मुआवजा के लिए दावों हेतु आवेदन आमन्त्रित करने हेतु प्रख्यापन जारी करेगा।
4. जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा क्षति के लिए मुआवजा हेतु प्राप्त किए गए आवेदनों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर राज्य सरकार को भेजेगा। स्वतन्त्र मूल्यांकन अभिकरण।
5. (1) किसी स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण की रिपोर्ट सहित क्षति के लिए मुआवजा हेतु दावे का आवेदन, धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन आमन्त्रित करने के प्रख्यापन की तिथि से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप, रीति तथा ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, में, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाएगा। दावे के लिए आवेदन दायर करने हेतु प्रक्रिया।
- (2) मुआवजा के लिए दावा, स्वामी या उसके विधिक प्रतिनिधि, जिसको क्षति हुई है, द्वारा दायर किये जा सकते हैं।
- (3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन किसी संगठन की सम्पत्ति की दशा में, मुआवजा के लिए दावा कार्यालयाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस सम्बंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा।
- (4) किसी कम्पनी, न्यास, विश्वविद्यालय, सोसाइटी या किसी वैधानिक बोर्ड के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति की दशा में, मुआवजा के लिए दावा, ऐसी कम्पनी, न्यास, विश्वविद्यालय, सोसाइटी या वैधानिक बोर्ड द्वारा इस सम्बंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा।
- (5) जिले का पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, लोक व्यवस्था में विघ्न, जहां लोक व्यवस्था में ऐसे विघ्न के फलस्वरूप क्षति हुई है, के प्रबन्धन के लिए पुलिस या राज्य के बाहर से अर्धसैनिक बलों की मांग की लागत के मददे मुआवजा का दावा करते हुए आवेदन दायर कर सकता है।
- (6) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षति हेतु मुआवजा के लिए दावे हेतु आवेदन पर न्यायनिर्णयन प्रयोजन हेतु और इस अधिनियम के अधीन इसे सौंपे गए कृत्यों की पालना करने के लिए ऐसी घटना और ऐसी अधिकारिता, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए एक या एक से अधिक दावा अधिकरणों का गठन कर सकती है।
6. (1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर, क्षति हेतु मुआवजा के लिए दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन इसको सौंपे गए कृत्यों के पालन के लिए, ऐसी घटना तथा ऐसी अधिकारिता, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या एक से अधिक दावा अधिकरणों का गठन करेगी। दावा अधिकरण का गठन।
- (2) दावा अधिकरण की अध्यक्षता, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे रूप में पदाभिहित किए जाने वाले हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में से किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तथा जहां इसमें दो या दो से अधिक सदस्य शामिल हैं, तो दावा अधिकरण के अन्य सदस्य, राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों, जो अपर उपायुक्त की पदवी से नीचे के न हों, में से होंगे।
- (3) जहां किसी क्षेत्र के लिए दो या दो से अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं, तो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उनमें कारबार के वितरण को विनियमित कर सकती है।
- (4) दावा अधिकरण, बैंकिंग, मूल्यांकन, बीमा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों या किसी प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता ले सकते हैं।
7. राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए, सेवा के ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जो विहित की जाएं, पर दावा अधिकरण को पर दावा अधिकरण को ऐसी संख्या में अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी, जो वह उचित समझे। दावा अधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी।

दावा अधिकरण के कृत्य तथा शक्तियां।

8. (1) दावा अधिकरण, दायित्व का अवधारण करेगा तथा इसको भेजे गए मुआवजा हेतु दावों का निर्धारण करेगा तथा क्षति के आर्थिक मूल्य का अवधारण करेगा तथा ऐसे अवधारण पर, इससे सम्बंधित उपयुक्त मुआवजा देगा तथा उसका प्रभाजन करेगा।

(2) इस प्रकार अवधारित मुआवजा, ऐसे अनुपात, जो दावा अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, में लोक व्यवस्था में विघ्न, जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, का नेतृत्व करने वाले, आयोजित करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले या अंजाम देने वाले व्यक्तियों द्वारा भुगतानयोग्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दावा अधिकरण को भेजे जाने वाले मुआवजा हेतु दावे।

9. जिला मजिस्ट्रेट, दावा अधिकरण के गठन के बाद, धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन क्षति हेतु मुआवजे के दावे के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों को न्यायनिर्णयन के लिए दावा अधिकरण को भेजेगा।

पक्षकारों को सम्मन जारी करना।

10. (1) दावा अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसी घटना, जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, का नेतृत्व, आयोजित करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने या अंजाम देने वाले व्यक्तियों को तथा दावा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को भी नियत तिथि तथा समय, जिस पर यह दावा हेतु आवेदनों को सुनेगा, वर्णित करते हुए सम्मन जारी करेगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति, जिसे सम्मन जारी किया गया है, आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तिथि तथा समय पर दावा अधिकरण के समक्ष पेश होने में असफल रहता है, तो दावा अधिकरण, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रकाशन द्वारा तामील करवा सकता है।

(3) दावा अधिकरण, किसी व्यक्ति, जो उप-धारा (2) के अधीन सम्मनों की तामील के बावजूद इसके समक्ष पेश होने में असफल रहता है, के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है:

परन्तु व्यक्ति, जिसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है और यदि वह दावा अधिकरण को संतुष्ट कर देता है कि उसे पेश होने से किसी पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था जब आदेश पारित किया गया था या कि सम्मनों की सम्यक् तामील नहीं की गई थी, तो दावा अधिकरण आदेश को अपास्त कर सकता है, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी।

(4) दावा अधिकरण, व्यक्ति, जिसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति की जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांग सकता है तथा जिला मजिस्ट्रेट पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति तथा बैंक खाते के ब्यौरों की रिपोर्ट दावा अधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक, जैसी भी स्थिति हो, या किसी अधिकारी या किसी बैंक या किसी अन्य शासकीय अधिकरण से ऐसी सम्पत्ति तथा बैंक खातों के सम्बंध में सूचना मांग सकता है तथा ऐसा अधिकारी, ऐसी सूचना, जो उसे उपलब्ध हो या उस द्वारा प्राप्त की जाए, जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाने हेतु कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा:

(6) दावा अधिकरण, उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सम्बद्ध व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने हेतु उसकी सम्पत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की के आदेश जारी करने की कार्यवाही कर सकता है तथा अधिकारी, जिसको सम्पत्ति या बैंक खाते की कुर्की करने का ऐसा आदेश जारी किया जाता है, इसकी प्राप्ति पर तुरन्त ऐसे आदेश की अनुपालना करने हेतु कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन सम्पत्ति की कुर्की के लिए कार्यवाही करने से पूर्व, दावा अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के आदेश XXXVIII, नियम 5, के अधीन यथा उपबंधित सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा।

पक्षकारों का पेश होना तथा लिखित कथन दायर करना।

11. व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा अधिकरण द्वारा धारा 10 के अधीन सम्मन जारी किया गया है, प्रथम सुनवाई को या से पूर्व या ऐसे और समय, जिसे दावा अधिकरण अनुमत करे, जो सम्मन की तामील या धारा 10 की उप-धारा (2) के अधीन प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिन तक ही, लिखित कथन दायर करेगा तथा ऐसा लिखित कथन अभिलेख का भाग रूप होगा।

12. (1) दावा अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों और इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन निर्देशित होगा। दावा अधिकरण को इसकी बैठकों के स्थान तथा समय नियत करने सहित इसकी अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

दावा अधिकरण की प्रक्रिया।

(2) दावा अधिकरण, दस्तावेजों तथा लिखित कथनों के अवलोकन पर और ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने या ऐसे मौखिक तर्कों, जो अग्रिम में हैं, को सुनने के बाद, इसको किए गए प्रत्येक आवेदन पर यथासम्भव शीघ्रता से निर्णय करेगा और सामान्यतः प्रत्येक आवेदन धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन सम्मन की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर निर्णीत किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दावा अधिकरण की कार्यवाहियाँ, जहाँ तक यह व्यवहारिक हों और न्याय के हित में हों, इसके निष्कर्ष तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रहेंगी, जब तक दावा अधिकरण अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए अनुवर्ती दिन तक कार्यवाही स्थगित करने के लिए आवश्यक न समझे।

(4) दावा अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद के विचारण के दौरान वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने और हाजिर होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना ;
- (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण तथा पेश किया जाना आवश्यक होना;
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य स्वीकार करना ;
- (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 123 तथा 124 के उपबन्धों के अध्याधीन, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना ;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

13. (1) दावा अधिकरण, यदि इस प्रकार ऐसा अपेक्षित हो, लोक व्यवस्था में विघ्न के फलस्वरूप हुई क्षति के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाने में दावा अधिकरण की सहायता के लिए एक या एक से अधिक दावा आयुक्तों, जो उपमण्डल मजिस्ट्रेट की पदवी के नीचे के न हों, की नियुक्ति कर सकता है।

दावा आयुक्त तथा स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण।

(2) दावा अधिकरण, सम्पत्ति की क्षति के आर्थिक मूल्य के मूल्यांकन के लिए दावा आयुक्त की सहायता करने हेतु स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण भी नियोजित कर सकता है।

(3) दावा अधिकरण को दावा आयुक्त और स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जो वह उचित समझे और उनमें क्षति का मूल्यांकन के लिए निजी या सार्वजनिक स्रोतों से विडियो, ऑडियो या अन्य रिकार्डिंग सहित साक्ष्य के लिए सम्मन करने की शक्तियाँ निहित होंगी।

(4) स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक ऐसा होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(5) दावा आयुक्त, दावा अधिकरण को ऐसी अवधि, जो दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की जाए, के भीतर स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण की रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

14. (1) दावा अधिकरण, पक्षकारों को सुनने के बाद और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और दावा आयुक्त तथा स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर व्यक्ति के दायित्व को तथा प्रत्येक आवेदक को दिए जाने वाले मुआवजे के आर्थिक मूल्य को अवधारित करेगा।

मुआवजा देना और इसका प्रभाजन।

(2) दावा अभिकरण, मुआवजे के लिए प्रत्येक दावे का अवधारण करते समय घटना, जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, का नेतृत्व करने वाले, आयोजित करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले, भाग लेने वाले या अंजाम देने वाले व्यक्तियों से वसूलीयोग्य मुआवजे के प्रभाजन का भी निर्णय करेगा।

(3) दावा अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन पंचाट सहित इस प्रकार दी गई राशि की क्षति की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी करेगा। कलक्टर, भू-राजस्व के बकायों के रूप में उसी रीति में पंचाट के निष्पादन के लिए आवेदन पर राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करेगा :

परन्तु दावा अधिकरण, आवेदक द्वारा दावा किए गए मुआवजे या दस करोड़ रूपए, जो भी कम हो, से उच्चतर मुआवजा नहीं देगा :

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति एक करोड़ रूपए से अधिक के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

(4) दावा अधिकरण, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, लोक व्यवस्था में विघ्न की घटना के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए दिए गए मुआवजे की कुल राशि से अनधिक अनुकरणीय क्षति का पंचाट भी कर सकता है और ऐसी क्षति, घटना, जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, का नेतृत्व करने वाले, आयोजित करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले, भाग लेने वाले या अंजाम देने वाले व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः और पृथक्तः भुगतानयोग्य होगी:

परन्तु ऐसी अनुकरणीय क्षति का भुगतान, राज्य की समेकित निधि से किया जाएगा।

(5) कलक्टर को किसी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध दावा अधिकरण द्वारा मुआवजा का भुगतान करने के लिए पंचाट पारित किया गया है, की सम्पत्ति या बैंक खाता की कुर्की का आदेश जारी करने की शक्ति होगी और ऐसी सम्पत्ति या बैंक खाता तब तक कुर्क रहेगा जब तक व्यक्ति देय राशि का भुगतान नहीं कर देता है।

(6) निम्नलिखित के संबंध में मुआवजा प्राप्य है -

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति को या पुलिस अथवा राज्य के बाहर से आए पुलिस अर्द्धसैनिक बलों की मांग की लागत के कारण हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संघ या राज्य, जैसी भी स्थिति हो, की समेकित निधि में जमा करवाई जाएगी;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी संगठन के स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति को हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भुगतान की जाएगी ;
- (iii) उपरोक्त (ii) के अधीन किसी संगठन से भिन्न किसी कंपनी, न्यास, विश्वविद्यालय या सोसाइटी या वैधानिक बोर्ड के स्वामित्वाधीन वाली किसी सम्पत्ति को हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी कंपनी, न्यास, विश्वविद्यालय या सोसाइटी या वैधानिक बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, को भुगतान की जाएगी;
- (iv) उपरोक्त (iii) के भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन वाली किसी सम्पत्ति को हुई क्षति की वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को भुगतान की जाएगी :

परन्तु यदि मुआवजा के रूप में कोई राशि, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी बीमा कंपनी या इस निमित्त किसी अन्य अधिकरण द्वारा घटना (घटनाओं) में क्षतिग्रस्त किसी सम्पत्ति के स्वामी को भुगतान की गई है, तो जिला मजिस्ट्रेट, भुगतान किए जाने वाले मुआवजा की राशि से ऐसी राशि समायोजित करेगा और इस प्रकार समायोजित की गई राशि, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ऐसी बीमा कंपनी या ऐसे अन्य अधिकरण को भुगतान की जाएगी।

(7) दावा अधिकरण, मुआवजा के लिए दावे हेतु आवेदनों का निपटान करते हुए, कार्यवाहियों में उपगत लागत और व्यय के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

ब्याज देना।

15. दावा अधिकरण निर्देश कर सकता है कि मुआवजा राशि के अतिरिक्त, प्रतिवर्ष छह प्रतिशत से अनधिक साधारण ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा।

अपील।

16. दावा अधिकरण द्वारा पारित पंचाट से व्यथित कोई व्यक्ति, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है :

परन्तु कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक दावा अधिकरण द्वारा इस प्रकार दिए गए मुआवजे की राशि का बीस प्रतिशत कलक्टर के पास जमा नहीं करवा दिया जाता है।

अधिकारिता का वर्जन।

17. किसी भी सिविल न्यायालय को मुआवजा के लिए दावे के संबंध में किसी मामले को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और कोई भी व्यादेश, किसी बात, जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के संबंध में किसी सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

आपराधिक कार्यवाहियों पर वर्जन नहीं होना।

18. इस अधिनियम के अधीन सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजा हेतु कार्यवाहियों, किसी भी सक्षम विधि न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के माध्यम से किए गए या किए जाने के लिए संभाव्य किसी आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त होंगी न कि उसके अल्पीकरण में।

19. जो कोई भी, इस अधिनियम से आबद्ध होते हुए, इस अधिनियम के अधीन दावा अधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य का निष्पादन करने में सहायता देने या उपलब्ध करवाने में असफल रहता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 187 के अधीन अपराध के लिए दण्डनीय होगा। सामान्य अपराध।
20. किसी दावा अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 2 के खण्ड (i) के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।
21. दावा अधिकरण को उपलब्ध करवाए गए पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य, दावा आयुक्त तथा अन्य अधिकारी और अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे। दावा अधिकरण के सदस्यों तथा अमले का लोक सेवक होना।
22. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी बात, जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को यथासंभव शीघ्रता से राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।
24. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जहां आम जनता ने भीड़ हिंसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गंभीरता से लिया है। जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक, सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हिंसा के अपराधियों के साथ-साथ आयोजकों, भड़कानेवालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए।

जहां हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान, हिंसा एवं अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती लागत की भरपाई के लिए, ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को वास्तविक अपराधियों के रूप में आयोजकों या भड़काने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है।

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 एक ऐसा विधेयक है जो कि हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक या अनेक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने से संबन्धित है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,  
गृह मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :  
दिनांक 9 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,  
सचिव।



## वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 देयता का निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु, राज्य सरकार को दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अर्हता प्रदान करेगा ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और नुकसान की वसूली की जा सके ओर मुआवजे में पुरस्कार दिया जा सके।

2. दावा अधिकरण, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, लोक व्यवस्था में विघ्न की घटना के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए दिए गए मुआवजे की कुल राशि से अनधिक अनुकरणीय क्षति का पंचाट भी कर सकता है और ऐसी क्षति, घटना, जिसके फलस्वरूप क्षति हुई है, का नेतृत्व करने वाले, आयोजित करने वाले, योजना बनाने वाले, प्रोत्साहित करने वाले, भड़काने वाले, भाग लेने वाले या अंजाम देने वाले व्यक्तियों द्वारा संयुक्ततः और पृथक्तः भुगतानयोग्य होगी:

परन्तु ऐसी अनुकरणीय क्षति का भुगतान, राज्य की समेकित निधि में किया जाएगा।

3. निम्नलिखित के संबंध में मुआवजा प्राप्य है –

- (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति को या पुलिस अथवा राज्य के बाहर से आए पुलिस अर्द्धसैनिक बलों की मांग की लागत के कारण हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संघ या राज्य, जैसी भी स्थिति हो, की समेकित निधि में जमा करवाई जाएगी;
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी संगठन के स्वामित्वाधीन किसी सम्पत्ति को हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भुगतान की जाएगी ;
- (iii) उपरोक्त (ii) के अधीन किसी संगठन से भिन्न किसी कंपनी, न्यास, विश्वविद्यालय या सोसाइटी या वैधानिक बोर्ड के स्वामित्वाधीन वाली किसी सम्पत्ति को हुई क्षति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी कंपनी, न्यास, विश्वविद्यालय या सोसाइटी या वैधानिक बोर्ड, जैसी भी स्थिति हो, को भुगतान की जाएगी;
- (iv) उपरोक्त (iii) के भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन वाली किसी सम्पत्ति को हुई क्षति की वसूली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को भुगतान की जाएगी :

परन्तु यदि मुआवजा के रूप में कोई राशि, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी बीमा कंपनी या इस निमित्त किसी अन्य अधिकरण द्वारा घटना (घटनाओं) में क्षतिग्रस्त किसी सम्पत्ति के स्वामी को भुगतान की गई है, तो जिला मजिस्ट्रेट, भुगतान किए जाने वाले मुआवजा की राशि से ऐसी राशि समायोजित करेगा और इस प्रकार समायोजित की गई राशि, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ऐसी बीमा कंपनी या ऐसे अन्य अधिकरण को भुगतान की जाएगी।

तदनुसार, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 की आवश्यकता है।

### प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 की धारा 24 की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनो को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा में रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में व्यवसाय की प्रक्रिया और आचरण के नियम के नियम 126 के तहत आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन।